संख्या-5/2016/635/94-1-2016-312(54)/2013

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई, 2016**

विषयः-वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के सन्दर्भ में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के लिपकीय संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-790/तीन-ए-428(मु0अधि0)/पुनर्गठन, दिनांक 14-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निणयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/401/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18-03-2011 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 22-12-2011 के अनुपालन में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के मुख्यालय अधिष्ठान संवर्ग के सम्बन्ध में इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका संख्या-1 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदनाम, स्तम्भ-3 में अंकित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन व स्तम्भ-4 में अंकित पदों की संख्या के स्थान पर तालिका-2 एवं तालिका संख्या-3 के स्तम्भ-2 के अनुसार पदनाम, स्तम्भ-3 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-4 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ-5 के अनुसार शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती/ पदोन्नति की विधि/ प्रक्रिया के अनुसार क्रमशः दिनांक 18-03-2011 व 22-12-2011 से तथा जिला अधिष्ठान संवर्ग के सम्बन्ध में उपर्युक्त अंकित शासनादेश दिनांक 18-03-2011 के अनुपालन में तालिका संख्या-4 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदनाम, स्तम्भ-3 में अंकित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-4 में अंकित पदों की संख्या के स्थान पर तालिका-5 के स्तम्भ-2 के अनुसार पदनाम, स्तम्भ-3 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-4 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ-5 के

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार शैक्षिक अर्हता/ भर्ती की विधि की प्रक्रिया को दिनांक 18-03-2011 से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने अथवा उच्च ग्रेड वेतन में पद नामित होने के फलस्वरूप सम्बन्धित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/841/दस-2009-54(एम)/2008 दिनांक 24-12-2009 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में संलग्न तालिका में अंकित संवर्गवार पदों की संख्या की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 कार्यालय का होगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-541/दस-16 दिनांक 08-07-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-5/2016/635(1)/94-1-2016 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से भेजने का कष्ट करें।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को तीन-तीन प्रतियों में।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरों, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
7- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-5/2016/635/94-1-2016-312(54)/2013 दिनांक 20-07-2016 का संलग्नक

मुख्यालय अधिष्ठान

तालिका-1

क्र0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	नैत्यिक श्रेणी लिपिक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/-	50
2	उप लेखक प्रालेखक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/-	09
3	ज्येष्ठ उप लेखक प्रालेखक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-	04
4	वरिष्ठ लिपिक	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-	01
5	प्रधान लिपिक/ कार्यालय अधीक्षक	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-	01
योग			**65**

वेतन समिति (2008) की संस्तुति के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18 मार्च, 2011 के अन्तर्गत मुख्यालय अधिष्ठान के लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठित ढॉचा निम्नवत है:-

मुख्यालय संवर्ग

तालिका-2

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता/ भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
1	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/-	50	80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। **अर्हता-** इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी/

http://shasanadesh.up.nic.in

				अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 25/30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा, जो हाईस्कूल हों एवं टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-	13	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-	02	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
योग			**65**	

मुख्यालय अधिष्ठान के लिपिकीय संवर्ग के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्य-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के अन्तर्गत ढाँचा निम्नानुसार संशोधित हो जायेगा:-

<u>तालिका-3</u>

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन**	**पदों की संख्या**	**शैक्षिक अर्हता/ भर्ती की विधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/-	50	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 की व्यवस्थानुसार
2	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं	09	----तदैव----

http://chasaniadesh.up.nic.in

		ग्रेड वेतन रू0 2800/-		
3	प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-	04	----तदैव----
4	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-	02	----तदैव----
योग			**65**	

<u>जिला अधिष्ठान</u>

<u>तालिका-4</u>

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन**	**पदों की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**
1	निबन्धन लिपिक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900/-	1122
2	मुख्य निबन्धन लिपिक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2400/-	68
योग			**1190**

जिला अधिष्ठान के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18 मार्च, 2011 से ढाँचा निम्नानुसार पुनर्गठित माना जायेगा:-

<u>तालिका-5</u>

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन**	**पदों की संख्या**	**शैक्षिक अर्हता/ भर्ती की विधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कनिष्ठ सहायक (निबन्धन)	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/-	1122	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 की व्यवस्थानुसार
2	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं	68	----तदैव----

http://shasanadesh.up.nic.in

	(निबन्धन)	ग्रेड वेतन रू0 2800/-		
योग			**1190**	

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in